



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ मिशन शक्ति अभियान के तहत मा0 जिला न्यायाधीश बांदा, जिलाधिकारी बांदा व पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा मण्डल कारागार बांदा में निरुद्ध महिला बंदियों से “शक्ति संवाद” कर उन्हें शासन द्वारा उनकी सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में दी गई जानकारी।

विवरण- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2026 को मंडल कारागार, बांदा में मा0 जिला न्यायाधीश बांदा श्रीमती अल्पना सिंह, जिलाधिकारी बांदा श्रीमती जे0 रिभा एवं पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा महिला बैरक में निरुद्ध महिला बंदियों से शक्ति संवाद किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला बंदियों को उनकी **सुरक्षा, अधिकारों और सशक्तीकरण** से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से **महिला हेल्पलाइन 1090, निःशुल्क विधिक सहायता, आपात कालीन पुलिस एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण** आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि रिहाई के पश्चात वे किन सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। इस दौरान महिला बंदियों को यह भी बताया गया कि महिला संबंधित किसी भी समस्या की स्थिति में वे किस तरह सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, आत्मरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिवारिक सहयोग जैसे विषयों पर भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला बंदियों ने भी अपने विचार साझा किए। अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें शासन द्वारा महिला बंदियों के सशक्तीकरण हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।